नकल खसरा नं0-486/10-11

न्यायालय परगनाधिकारी मोदीनगर
वाद संख्या 67/11 धारा-143 उ0प्र0ज0वि0 एव भू0व्य0अधिनियम
ग्राम मौ0पुर कदीम परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गा0बाद
श्री जगन्नाथ जी एजूकेशनल इन्स्टीटयूट बनाम सरकार

नकल- निर्णय दि0-19/9/11

प्रस्तुत वाद श्री जगन्नाथ जी एजूकेशनल इन्स्टीटयूट ग्राम मौहम्मदपुर कदीम निकट सीकरी कलॉं द्वारा देवराज शर्मा पुत्र श्री शिवओम शर्मा निवासी ग्राम सीकरी कलॉं तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मोदीनगर की आख्या दिनांक 3-9-11 के आधार पर योजित किया गया तहसीलदार, मोदीनगर द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम मौहम्मदपुर कदीम तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खाता संख्या 16 खसरा संख्या 453मि0 रकबा 0.1656है0 व खाता संख्या 260 खसरा नम्बर 454मि0 रकबा 0.4350 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.6006 है0 भूमि में कृषि कार्य,बागवानी,मत्स्यपालन का कार्य नहीं हो रहा है,मौके पर भूमि खाली है,एक कमरा बना है,किसी न्यायालय में कोई विवाद नही है,भूमि ग्रीन बैल्ट में नहीं है,अतः धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है ।

वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के संबंध में ग्रामसभा/उत्तर प्रदेश सरकार एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया, जो बाद तामील शामिल मिसल किये गये गा0बाद विकास प्राधिकरण की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि वादग्रस्त भूमि गा0बाद विकास प्राधिकरण के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत पडती है,प्राधिकरण के क्षेत्राधिकारी में आने वाली भूमि के भूउपयोग परिवर्तन करने से मलिन बस्ती को बढावा मिलेगा तथा नियोजित कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा,अतः मे प्रार्थना-पत्र के आधार पर उक्त प्रार्थना-पत्र खण्डित करने का अनुरोध किया गया है ।

वादी की व्यक्तिगत सुनवाई की गयीतथा पत्रावली का भलींभॉति अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी से कोई वाद नहीं है व न ही किसी से कोई झगडा है,अतः भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय । पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि संदर्भित भूमि का उपयोग कृषि कार्य के रूप में नहीं हो रहा है,इसलिए संदर्भित भूमि को उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित है,परन्तु स्थानीय विकास प्राधिकरण/निकाय के प्राविधान बाधक न हो तो इस हेतु संदर्भित भूमि में किसी भी प्रकार का विकास व निर्माण तथा भू-उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है । उक्त तथ्य को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का मत है कि संदर्भित भूमि को इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास/निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन प्राविधान पूर्व की भॉति लागू रहेगें,अकृषिक घोषित किया जाना ही उचित होगा।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपनी बैठक के उपरान्त जारी पत्र संख्या 15286 दिनांक 25-9-2007 के पैरा-4 में निर्देश इस

सर्वे कराते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत आबादी घोषित किया जाने की कार्यवाही अभियान चलाकर की जाए । उक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में भी वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है ।

शासनादेश संख्या 6416/जी05-229 दिनांक 2-8-2007 में द्वारा निर्देशित किया गया है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन भी है,से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त करता है तो परगने का इंचार्ज असि0 कलेक्टर स्वमेव अथवा प्रार्थना -पत्र पर जांच कर प्रख्यापन कर सकते हैं । इस संबंध में उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 1950 की धारा 143 में प्राविधान है कि प्रख्यापन आदेश की एक प्रति उप निबंधक को भेजी जाए,जिससे वह इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में किसी बात के रहते हुए उसे बिना शुल्क और नियत रीति से निबन्धित कर लेगा। निर्देशित किया गया है कि प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपवंचन रोका जाए । अतः राजस्व हित में इसे गैर कृषिक प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम मौहम्मदपुर कदीम तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खाता संख्या 16 खसरा संख्या 453मि0 रकबा 0.1656है0 व खाता संख्या 260 खसरा नम्बर 454मि0 रकबा 0.4350 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.6006 है0 जोकि श्री जगन्नाथ जी एजूकेशनल इन्स्टीटयूट ग्राम मौहम्मदपुर कदीम निकट सीकरी कलाँ द्वारा देवराज शर्मा पुत्र श्री शिवओम शर्मा नि0 ग्राम सीकरी कलाँ तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के नाम दर्ज [illegible] को अकृषिक घोषित किया जाता है । तहसीलदार,मोदीनगर की आख्या दिनांक 01-9-11 इस आदेश का अंग रहेगी वादी उक्त भूमि में भविष्य में जो भी [illegible] कार्य करेगें,निर्माण से पूर्व स्थानीय निकाय/सक्षम अधिकारी से आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण कराने के उपरान्त करेगें । आदेश की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार,मोदीनगर को माल कागजात में इन्द्राज हेतु एवं उप निबंधक,मोदीनगर को उ0प्र0ज0वि0अ0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा-143 के तहत सहपठित नियम-137 में अपेक्षा के अनुरूप इंडियन रजिस्टेशन एक्ट 1908 के तहत निबन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाये कि वह अपना आनुलेख लिपिबद्ध करने के उपरान्त कि यथोवत नियमित(दैनिक पंजिका) में कर दिया गया है,जिस पर उप निबंधक के हस्ताक्षर होगें,न्यायालय को लौटा दें । इस न्यायालय की वाद पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाए ।

ह0
1/9/11
(विजेन्द्र सिंह)
परगनाधिकारी
मोदीनगर ।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया ।

ह0
1/9/11
(विजेन्द्र सिंह)
परगनाधिकारी
मोदीनगर ।

466/10-11
2/9/11
2/9/11

S.D.O.
2/9/11